भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3363

उत्तर देने की तारीख-16/12/2024

राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के अंतर्गत राज्यों को वित्तीय सहायता

†3363. **श्री अरविंद गणपत सावंत:**
श्री धर्मेन्द्र यादवः
श्री श्रीरंग आप्पा चंदू बारणे:
श्रीमती भारती पारधी:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने समानता, सुलभता और उत्कृष्टता के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राज्य विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों का वित्तपोषण करने हेतु मिशन मोड में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (आरयूएसए) को कार्यान्वित किया है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के उद्देश्य क्या हैं;

(ग) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान योजना के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों, विशेषकर महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों को प्रदान की गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है;

(घ) राज्य सरकारों विशेषकर महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश द्वारा असेवित और अल्पसेवित जिलों में उच्च शिक्षा की सुलभता में सुधार करने के लिए प्रस्तुत किए गए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उपर्युक्त योजना सामाजिक रूप से वंचित समुदायों के लोगों की उच्च शिक्षा तक पहुंच में समानता लाने और महिलाओं, अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों और दिव्यांगजनों के समावेशन को बढ़ावा देने में किस हद तक सहायक है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) और (ख): सरकार ने शैक्षिक रूप से असेवित/अल्पसेवित क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वर्ष 2023-24 से 2025-26 की अवधि हेतु 12926.10 करोड़ रुपये के

परिव्यय के साथ प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (पीएम-यूएसएचए) के रूप में जून 2023 में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (आरयूएसए) के तीसरे चरण का शुभारंभ किया है।

इस योजना में विभिन्न घटकों, जैसे बहु-विषयक शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालय (एमईआरयू), विश्वविद्यालयों के सुदृढ़ीकरण हेतु अनुदान (जीएसयू), कॉलेजों के सुदृढ़ीकरण हेतु अनुदान (जीएससी), नए मॉडल डिग्री कॉलेज (एनएमडीसी) तथा लैंगिक समावेशन और समानता पहल (जीआईईआई) के तहत सहायता के माध्यम से राज्य उच्च शिक्षा प्रणाली में सुलभता, समानता और उत्कृष्टता में सुधार की परिकल्पना की गई है। पीएम-यूएसएचए के लिए परियोजना अनुमोदन बोर्ड की पहली और दूसरी बैठकों में, विभिन्न घटकों के तहत कुल 5613.12 करोड़ रुपये की राशि के साथ विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 440 इकाइयों को अनुमोदित किया गया है।

(ग): योजना के अंतर्गत विगत तीन वर्षों (अर्थात् 2021-22 से 2023-24) और चालू वर्ष के दौरान राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को 908.86 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है, जिसमें महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों को जारी की गई 153.57 करोड़ रुपये की राशि शामिल है।

(घ): पीएम-यूएसएचए के तहत महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों से विभिन्न घटकों के अंतर्गत क्रमशः 681, 131 और 142 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इन प्रस्तावों में से पीएम-यूएसएचए के तहत परियोजना अनुमोदन बोर्ड की पहली और दूसरी बैठकों में इन राज्यों के लिए 2374.75 करोड़ रुपये की राशि के साथ 162 इकाइयां अनुमोदित की गई हैं।

(ङ): पीएम-यूएसएचए के तहत फोकस जिलों को प्राथमिकता दी जाती है। संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा विभिन्न मानदंडों के आधार पर फोकस जिलों को चिह्नित किया जाता है, जिसमें कम सकल नामांकन अनुपात, लैंगिक समानता, जनसंख्या अनुपात तथा महिलाओं, ट्रांसजेंडरों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों हेतु नामांकन अनुपात, आकांक्षी/सीमावर्ती क्षेत्र/वामपंथी उग्रवाद से ग्रस्त जिले आदि शामिल हैं।

*****